U. P. N.-1014-10-10,00,000-8000.

APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

अदालत _____ मुकाम _____

बनाम _____

नम्बर मुकदमा _____ न. _____ सन् _____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम में जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/2/20	पत्र० भेजा हुआ वकील वादी को मुद्दालेह का रेहाइश दो जाने के कारण उनके लिए घोषित A.W. अभिरक्षित घोषित आदेशिका दि० 11.9.19 की पालना हेतु पत्र० दि० 3.2.20 को भेजा हो। सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर	
3.2.20	पत्र० भेजा हुआ वकील आप पक्ष द्वारा आदेशिका दि० 11.9.19 की पालना हेतु एक अंतिम अवसर व्यापृति के लिए जबकि हिदायत की गई कि आ० पेशी पर पालना न करने पर बाद पालना के अभाव में स्वतः स्वविवेक लागू जावे। पत्र० दि० 24.2.20 को भेजा हो। सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर	
24/2/20	पत्र० भेजा हुआ। वकील आप पक्ष द्वारा वकील वादी बार-बार हिदायत देने के पश्चात भी पत्र० में आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। आज वकील वादी ने नोटिस सर्विस नहीं किया। वादी को आवाज दिलवाई गई। वादी हाजिर नहीं। पत्रावली में वादी एवं वकील वादी द्वारा कार्यवाही कानून नुसार नहीं की जा रही है। अतः वाद वादी पालना के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्र० फैसल शुमार होकर नस्ती हो। आवश्यक दस्तखत हो। निर्णय आप खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर	No instruction for plaintiff. [illegible]

Scanned with CamScanner